सफ़र के महीने से अपशकुन लेना जाहिलियत के कामों में से है

[**हिन्दी – Hindi –** هندي]

अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़

अनुवादः अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

2013 - 1435

IslamHouse.com

التشاؤم بـ " شهر صفر " من أمور الجاهلية

« باللغة الهندية »

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ترجمة: عطاء الرحمن ضياء الله

2013 - 1435

IslamHouse.com

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

मैं अति मेहरबान और दयालु अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ।

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وبعد:

हर प्रकार की हम्द व सना (प्रशंसा और गुणगान) केवल अल्लाह के लिए योग्य है, हम उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी से मदद मांगते और उसी से क्षमा याचना करते हैं, तथा हम अपने नफ्स की बुराई और अपने बुरे कामों से अल्लाह की पनाह में आते हैं, जिसे अल्लाह तआला हिदायत प्रदान कर दे उसे कोई पथभ्रष्ट (गुमराह) करने वाला नहीं, और जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं। हम्द व सना के बाद :

सफर के महीने से अपशकुन लेना जाहिलियत के कामों में से है

प्रश्न : अक्सर दोहराया जाता रहता है कि सफर का महीना नहूसत (अपशगुन, दुर्भाग्य) का महीना है, जिससे कुछ अवाम बहुत से मामलों में अपशकुन लेते हैं। चुनाँचे उदाहरण के तौर पर इस महीने में निकाह नहीं किया जाता है, इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि निकाह की सभा में लकड़ी तोड़ना या रस्सियों में गाँठ लगाना और उंगलियों में उंगलियाँ डालना जायज़ नहीं है ; क्योंकि इसकी वजह से यह विवाह विफल हो जायेगा और पति–पत्नी के बीच सामंजस्य नहीं बन पायेगा।

चूँकि यह अक़ीदा को प्रभावित करता है, इसलिए कृपया नसीहत (सदुपदेश) करें और इस बारे में शरई प्रावधान स्पष्ट करें। अल्लाह तआला सभी लोगों को उस चीज़ की तौफीक़ प्रदान करने जिसे वह पसंद करता है और उससे प्रसन्न होता है।

उत्तर : सफर के महीने से अपशकुन लेना (उसे मनहूस और अशुभ समझना) जाहिलियत (इस्लाम से पूर्व अज्ञानता के काल) के कामों में से है, और ऐसा करना जायज़ नहीं है। बल्कि वह अन्य महीनों के समान ही है, उसमें न अच्छाई है न बुराई है, बल्कि हर तरह की भलाई अल्लाह की ओर से है और बुराई उसकी तक़दीर (अनुमान) से है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यह बात सहीह हदीस में प्रमाणित है कि आप ने इसे असत्य (बातिल) करार दिया है, जैसा कि आप ने फरमाया :

"لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر."

''प्राकृतिक रूप से कोई संक्रमण भावुक नहीं है, न कोई बुरा शकुन है, न उल्लू के बोलने का कोई प्रभाव है, और न ही सफर का महीना (मनहूस या अशुभ) है।'' (सहीह बुखारी हदीस संख्या : 5387, सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2220)

इसी तरह शादी के समय उंगलियों में उंगलियाँ डालने या लकड़ी तोड़ने या ऐसे ही अन्य चीज़ों से अपशकुन लेने का कोई आधार नहीं है, और न ही उसका अक़ीदा रखना जायज़ है, बल्कि वह बातिल (असत्य) है। अल्लाह तआला सभी को तौफीक़ प्रदान करे।

''फतावा इब्ने बाज़'' (28/357)